# शाहजहाँपुर पुलिस

## प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य दिनांक 13.12.2024

***थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा षड़यन्त्र करके योजनाबद्ध तरीके से दिन दहाड़े ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या की घटना में शामिल अभियुक्त को पुलिस रिमाण्ड पर लेकर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल की बरामदगी***

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या करने वाले अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 02.12.2024 को वादी मुकदमा श्री दिलीप कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी मो0 श्यामतगंज गौटिया निकट गौटिया मंदिर, थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 800/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/61(2)/103(1) बी.एन.एस. बनाम अरविन्द वर्मा आदि 14 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार द्वारा प्रारम्भ की गयी थी।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर नांमजद एंव विवेचना से प्राप्त ठोस साक्ष्यो व तथ्यो के आधार पर प्रकाश मे आये प्रतिवादी 1. आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ पुत्र सत्यपाल निवासी मोहल्ला गदियाना थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर 2. आर्यन उर्फ शुभांकर पुत्र स्व. शिवराज निवासी क्वाटर नं.1 F13 डबल स्टोरी ओ.सी.एफ स्टैट थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर 3. काजल पुत्री महेश पाल, नि0 निकट एल.आई.सी. पेट्रोल पम्प, अब्दुल्लागंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर 4. मोहित पुत्र राममूर्ति निजन ,थाना रामचन्द्र मिशन ,चमकनी गाडीपुरा मो0 0पद शाहजहाँपुर 5. अमन खाँ पुत्र भुल्लन खाँ नि ,थाना रामचन्द्र मिशन ,मिश्रीपुर 0 जनपद शाहजहाँपुर 6,पियूष राठौर पुत्र सर्वेश राठौर निवासी मोहल्ला दिलाजाक . थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर 7.आदिल पुत्र मो 0 हासिम निवासी मोहल्ला तारीन जलालनगर थाना सदर बाजार शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, तथा अन्य अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु किये गये प्रयासो एंव दी गयी दबिश के क्रम मे अभियुक्त अरविन्द वर्मा पुत्र दाताराम वर्मा निवासी मोहल्ला अजीजगंज, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर , अभियुक्ता पलक पत्नी आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ निवासी गदियाना चुंगी थाना सदर बाजार शाहजहांपुर द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जिला कारागार मे निरूद्ध है तथा अभियुक्त आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ की निशादेही के आधार पर घटना मे प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किये गये थे।

विवेचना से प्राप्त ठोस साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर एंव मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके अभियुक्त अरविन्द वर्मा पुत्र दाताराम वर्मा निवासी अजीजगंज थाना कोतवाली शाहजहांपुर के बयान 180 बी.एन.एस.एस नियमानुसार मा0 न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर अंकित किये गये जिसमे अभियुक्त द्वारा घटना मे एक अवैध तमंचा जो मृतक आयुष गुप्ता के पास से गिरा था ,से फायर करना बताया एंव स्वयं की निशादेही पर बरामद करना बताया था। आज दिनांक 13.12.2024 को मा0 न्यायालय से अभियुक्त अरविन्द वर्मा उपरोक्त का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड स्वीकृत कराकर अभियुक्त की निशादेही पर समय 10.10 बजे ओ.सी.एफ मन्दिर के पीछे झाडियो से घटना मे प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर , एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। विवेचना मे संकलित साक्ष्यो एंव तथ्यो के आधार पर धारा 49,54, 352,351(3) बीएनएस व 3/25/27 आयुध की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी अभियुक्तो ने प्रश्नगत घटना मे अपने अन्य साक्ष्यो के साथ शामिल होने के जुर्म का इकबाल करते हुये मृतक आयुष गुप्ता को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उकसाकर झगडा करने के लिए रामलीला मैदान मे अन्य लडको के साथ भेजने आदि के बार मे महत्वपूर्ण तथ्य बताये है , जिनके गहरायी से छानबीन करते हुए साक्ष्य संकलित किये जा रहे है। इसके अलावा इस घटना मे नामजद अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं घटना मे शामिल अन्य अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाने के लिए चार टीमे लगायी गयी है। शीघ्र ही इस घटना मे शामिल अभियुक्तो एवं दोनो पक्षो के लडको को उकसाकर गम्भीर घटना कारित कराने वालो की पहचान कराकर प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार उक्त अभियोग में अब तक कुल 11 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त में अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। विवेचना प्रचलित है।

**पुलिस कस्टडी मे लिये गये अभियुक्त का विवरणः-**

1.अरविन्द वर्मा पुत्र दाताराम वर्मा निवासी अजीजगंज थाना कोतवाली शाहजहांपुर

**आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त अरविन्द वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत हैः-**

1. मु.अ.सं. 234/18 धारा 323,325,504,506 भा.दं.सं. थाना कोतवाली शाहजहांपुर।
2. मु.अ.सं. 270/20 धारा 307, 34 भा.दं.सं. थाना कोतवाली शाहजहांपुर।
3. मु.अ.सं. 289/2018 धारा 147,148,307,323 भा.दं.सं. थाना कोतवाली शाहजहांपुर।

4. मु.अ.सं. 200/24 धारा 191(3),190,253,352,109, बी.एन.एस. 3/25/27 आयुध अधि- रामचन्द्रमिशन शाहजहांपुर।
5. मु.अ.सं. 202/24 धारा 109 बी.एन.एस 4/9/25/27 आयुध अधि रामचन्द्रमिशन शाहजहांपुर।

**बरामदगी का विवरण-**

एक अवैध तमंचा 315 बोर एक खोखा कारतूस 315 बोर , एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
2.उ0नि0 श्री प्रदीप शर्मा ,थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
3. उ0नि0 श्री ललित शर्मा ,थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
4.उ0नि0 श्री शिवम अग्रवाल ,थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
5.का0 2070 मोनू चौधरी ,थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
6.का0 1839 विशाल ,थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
7.का0 1590 मनोज कुमार, थाना सदर बाजार शाहजहांपुर